श्री कुमार प्रशान्त जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा जिला संग्रह अनुभाग के कार्यो की निरीक्षण टिप्पणी :–

निरीक्षण तिथि 02.12.2016

आज दिनांक 02.12.2016 को मुख्य राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट–चन्दौली के पटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री अवधेश कुमार लाल, मुख्य राजस्व लेखाकार व श्री विपिन प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार तथा रंजना चौधरी सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार व श्री प्रायजीत कुमार सैनी सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार उपस्थित रहें।

मुख्य देयः–

इस मद की मांग एवं वसूली के सम्बन्ध में भू–राजस्व आकार पत्र–1 एवं भू–राजस्व आकार पत्र–5 फसली–1423 तथा 1424 प्रस्तुत किया गया। फसली 1423 भू–राजस्व आकार पत्र–5 की कुल मांग 2253016/–रू0 के सापेक्ष 1757988/–रूपये की वसूली की जा चुकी है। फसली 1424 भू–राजस्व आकार पत्र–1 में खरीफ के लिए 827240/–रूपये तथा रवी की 901285/–रू0 कुल योग 1728525/–रू0 तथा 10 वर्ष का बकाया 495028रू0 कुल मांग 2221991रू0 निर्धारित की गयी है। जिसमें तहसील सकलडीहा द्वारा 1173375 रू0 तथा चन्दौली द्वारा 282039रू0 तथा चकिया द्वारा 623343रू0 तथा मुगलसराय द्वारा 143234रू0 शुद्ध मांग दर्शायी गयी है, साथ ही विगत वर्ष 495028रू0 तहसील,सकलडीहा की बकाया मांग शेष दर्शायी गयी है। मांग के सापेक्ष तहसील चन्दौली द्वारा 8127 व सकलडीहा द्वारा 42759 व चकिया द्वारा 15905 तथा मुगलसराय द्वारा 1723 इस प्रकार कुल 68514रू0 की माह नवम्बर की वसूली की गयी है, जो बहुत ही कम है। इसी प्रकार सिंचाई देय में निर्धारित लक्ष्य 05 प्रतिशत के सापेक्ष जनपद स्तर पर 0.12 प्रतिशत की वसूली की गयी है इस मद में भी किसी तहसील द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया गया है लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु तहसीलों को बराबर निर्देश निर्गत किया जाय। तकावी देय में किसी भी तहसील द्वारा बकाया धनराशि की वसूली नहीं किया जा रही है। इस सम्बन्ध में समस्त उपजिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाय।

विविध देय पंजिका :–

विविध देयों की माँग पंजिका वित्तीय वर्ष के अनुसार तैयार किया जाता है। बैंक देय से सम्बन्धित पंजिका में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया व काशी ग्रामीण बैंक की पंजिका अलग–अलग बनायी गयी है तथा भारतीय स्टेट बैंक की पंजिका में पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि बैंकों से प्राप्त वसूली प्रमाण–पत्रों को दर्ज करके तहसीलों को वसूली हेतु प्रेषित किया गया है। साथ ही स्टाम्प देय एवं विद्युत देय की पंजिका एक ही में बनायी गयी है। व्यापार कर की पंजिका अलग बनायी गयी है। इस रजिस्टर में पिछले वर्ष का बकाया आर0सी0 लाल स्याही से अंकित नही किया गया है, विविध लिपिक द्वारा बताया गया कि इस मद की आर0सी0 ज्यादा होने के कारण प्रत्येक वर्ष का रजिस्टर अलग–अलग बनाया जाता है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पिछले वर्ष का बकाया आर0सी0 लाल स्याही से अंकन किया जाय उसके उपरान्त अगले वर्ष की आर0सी0 को नीली स्याही से दर्ज किया जाय तथा अन्य देयों के लिए भी एक पंजिका अलग से बनायी गयी है। पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत वर्ष का बकाया लाल स्याही से उतारे गये है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त वसूली प्रमाण–पत्रों को नीली स्याही से अंकन किया गया है । माँग पंजिका में तहसील द्वारा संग्रहित धनराशि अथवा विभिन्न कारणों से वापस की गयी संग्रह प्रमाण–पत्रों का अंकन अद्यावधिक स्थिति में नहीं पायी गयी। अंकन के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक तहसीलों की माँग पंजिका से जनपद के मांग पंजिका से मिलान करने हेतु तहसीलों को पत्र प्रेषित किया जाय।

गार्ड फाईलः–

संग्रह अनुभाग के गार्ड फाईल का निरीक्षण किया गया जिसमें प्राप्त होने वाले सभी शासनादेश/परिषदादेश को चस्पा करके अद्यावधिक कर दिया गया है।

विविध देयः–

इस देय के लिए परिषद द्वारा माह नवम्बर, 2016 तक 60 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद स्तर पर 77.09 प्रतिशत की वसूली की गयी है जिसमें तहसील चन्दौली द्वारा 82.69 प्रतिशत सकलडीहा द्वारा 64.98 प्रतिशत एवं चकिया द्वारा 82.00 प्रतिशत तथा मुगलसराय द्वारा 77.24 की वसूली गयी है।

विविध देय के अन्तर्गत कुल 26 प्रकार के मद आते है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मदों की वसूली का

क्रमशः2/.....

अवलोकन किया गया जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

चकबन्दी देयः–

इस मद में जनपद स्तर पर 100.00 प्रतिशत की वसूली की गयी है।

1. **परिवहन देयः–**

इस मद में जनपद स्तर पर 64.31 की वसूली की गयी है जोकि निर्धारित लक्ष्य से बहुत ही कम है।

उ0प्र0 अन्य देयः–

इस मद में तहसील चकिया द्वारा 88.00 प्रतिशत, तहसील चन्दौली द्वारा 86.77 प्रतिशत तथा सकलडीहा द्वारा 33.65 प्रतिशत तथा मुगलसराय द्वारा 83.00 प्रतिशत की वसूली की गयी है जो कि निर्धारित लक्ष्य से कम है उसे पूर्ण करने हेतु तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया जाय।

2. **विद्युत देयः–**

इस मद में जनपद स्तर पर 112.70 लाख रूपये की वसूली की गयी है जिसमें तहसील चकिया द्वारा 25.98 लाख रूपये की वसूली किया गया तथा तहसील सकलडीहा द्वारा 76.16 लाख रूपये तथा तहसील चन्दौली द्वारा 34.79 की वसूली किया गया तथा मुगलसराय द्वारा 44.31 की वसूली की गयी है। अपेक्षित सुधार हेतु तहसीलों को पत्र प्रेषित किया जाय।

3. **ग्राम समाज हर्जानाः–**

इस मद में जनपद स्तर पर मात्र 16.77 प्रतिशत की वसूली की गयी है किसी भी तहसील द्वारा लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया गया है अपेक्षित सुधार हेतु तहसीलों को पत्र प्रेषित किया जाय।

4. **स्टाम्प देयः–**

इस मद में जनपद स्तर पर मात्र 28.20 प्रतिशत की वसूली की गयी है तहसील के वसूली की स्थिति ठीक नहीं है जिसमें अपेक्षित सुधार लाने हेतु तहसीलों को पत्र प्रेषित किया जाय।

5. **रायल्टी देयः–**

इस मद में जनपद स्तर पर मात्र 78.73 प्रतिशत की वसूली की गयी है तहसील के वसूली लक्ष्य के अनुरूप नहीं है तद्नुसार सुधार हेतु तहसीलों को पत्र प्रेषित किया जाय।

दस बड़े बाकीदारः–

वसूली में अपेक्षित सुधार हेतु मा0 परिषद द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक स्तर पर दस बड़े बाकीदारों की सूची तैयार करके अनुश्रवण किया जाय। दस बड़े बाकीदारों के विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील स्तर पर इसकी समीक्षा नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है इस हेतु उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया जाय।

प्रति अमीन औसत कारगुजारी एवं संग्रह व्ययभारः–

मा0 परिषद द्वारा एक लाख रूपये प्रतिमाह प्रति अमीन औसत कारगुजारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा संग्रह व्ययभार के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि संग्रह व्ययभार किसी भी दशा में दस प्रतिशत से अधिक न हो वर्तमान समय में जनपद स्तर पर एक लाख के लक्ष्य को पूर्ण किया गया है परन्तु संग्रह व्ययभार 10 प्रतिशत से अधिक आ रहा है इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि प्रतिमाह प्रति अमीन औसत कारगुजारी में वृद्धि की जायेगी तो संग्रह व्ययभार का 10 प्रतिशत व्ययभार हो पायेगा। इस सम्बन्ध में तहसीलों को पत्र प्रेषित किया जाय।

मुख्य देय की वसूली लक्ष्य के अनुरूप न होने से मा0 परिषद द्वारा स्पष्टीकरण भी वाँछित है मुख्य देय की वसूली में अपेक्षित सुधार हेतु प्रत्येक अमीनों के सबसे बड़े बाकीदारों की सूची तैयार करके वसूली हेतु क्षेत्र में उपजिलाधिकारी व तहसीलदार भी कार्यक्रम के अनुसार जाना अपेक्षित है। मुख्य देय में जिन अमीनों की वसूली उनके साथ लगे हुए संग्रह अनुसेवकों को मिलाकर उनके वेतन से कम हो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाय।

विविध देय में व्यापार कर, विद्युत देय, स्टाम्प देय, परिवहन देय, मनोरंजन कर व बैंक देयों के वसूली की समीक्षा मण्डल स्तर पर बराबर किया जा रहा है अतएव उक्त देयों की वसूली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता

क्रमशः3/.....